



Neutral Citation No. -

2026:AHC:56732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2305 वर्ष 2026

बसरुद्दीन और अन्य

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह) के माध्यम से लखनऊ, उत्तर प्रदेश और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अतुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सी.एस. सरन की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 291/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 351(3) के तहत, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, जिला मुजफ्फर नगर में, यह प्रार्थना करते हुए कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी यूसुफ और श्रीमती शकीला को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या-2509/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बताया गया है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदकों ने अपने और प्रथम शिकायतकर्ता के बीच लंबित एक दीवानी मुकदमे में कुछ जाली दस्तावेज पेश किए हैं। यह भी बताया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदकों पर आरोप है कि उन्होंने आवेदकों और प्रथम सूचनादाता के बीच लंबित एक दीवानी मुकदमे में कुछ जाली दस्तावेज पेश किए हैं। सह-आरोपी यूसुफ और श्रीमती शकीला को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या-2509/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं - बसरुद्दीन और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और दो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जमानती पेश करने पर, जो प्रत्येक जमानती की राशि के बराबर हो और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- (i) अभियोक्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या त्रादा नहीं करेंगे जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"